



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 1177.....

दिनांक /Date.: 22-12-2020.....


संवाद-77

विषय:- एक से अधिक सत्र(Shift) में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के परिणाम के नॉर्मलाइलेशन के संबंध में।

ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फिर से यह पृच्छा की जा रही है कि कई Shift में आयोजित हो रही ऑनलाइन परीक्षाओं का परिणाम किस प्रकार तैयार होगा। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग द्वारा पूर्व में कार्यालय ज्ञाप दिनांक-15.02.2020 के द्वारा नॉर्मलाइलेशन प्रक्रिया एवं इसका सूत्र(फार्मूला) भी जारी किया गया है।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.02.2020 की एक प्रति सभी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ इस आशय से संवाद पृष्ठ पर प्रकाशित की जा रही है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में भी इसी प्रक्रिया तथा सूत्र(फार्मूला) के आधार पर नॉर्मलाइलेशन प्रक्रिया से परिणाम जारी किया जायगा।

आयोग की ओर से,


(संतोष बडोनी)
सचिव।

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No.: 1983

कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति

दिनांक/Date.: 15/2/20

आयोग द्वारा दिनांक 16.02.2020 को वन आरक्षी (Forest Guard) पद के लिए लिखित परीक्षा कराई जा रही है। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक अर्थात् 1,56,046 (एक लाख छप्पन हजार छियालिस) होने के कारण सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही पाली में कराया जाना संभव नहीं हो सका, क्योंकि इतने अभ्यर्थियों के लिए राज्य में एक पाली के लिए उपयुक्त परीक्षा केन्द्र उपलब्ध नहीं हो सके, अतः यह परीक्षा 2 पालियों (shift) में कराये जाने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया। इन दो पालियों में 2 अलग-अलग प्रश्नपत्रों से यह परीक्षा सम्पन्न कराई जायेगी।

एक ही परीक्षा को 2 अलग-अलग प्रश्नपत्रों से सम्पन्न कराने के कारण आयोग द्वारा परीक्षा का परिणाम नार्मलाइजेशन पद्धति से तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे 2 प्रश्नपत्रों का प्रभाव अभ्यर्थियों के परिणाम/प्राप्तांको पर न पड़े।

यह भी अवगत कराना है कि एक से अधिक पालियों (shift) में प्रतियोगी परीक्षार्थे कराना वर्तमान में एक सामान्य प्रक्रिया है व ऐसे सभी मामलों में सामान्यतः नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आयोग द्वारा इसी के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के परामर्श से नार्मलाइजेशन के लिए एक सूत्र (फार्मूला) स्वीकार किया गया है:-

$$M_{ij} = \frac{M_i^g - \bar{M}_g}{M_{ci} - M_{cg}} (M_{ij} - M_{ig}) + M_g$$

In the above formula :

M_g = Actual marks obtained by the j^{th} candidate in the i^{th} session.

\bar{M}_g = Average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions.

M_g = Sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_{ci} = Average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} sessions.

M_{ci} = Sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} sessions.

इस फार्मूले से दोनो पालियों में प्रश्नपत्रों की कठिनाई के स्तर को संतुलित (balances) किया जायेगा। यह पूर्णतया एक सांख्यिकीय विधि है व यह सूत्र Tested व Factual है।

इस सूत्र को सामान्य भाषा में समझने के लिये यह कहा जा सकता है कि किसी अभ्यर्थी ने जो वास्तविक अंक प्राप्त किये हों उसका मानकीकृत (Normalized) अंक निकाला जायेगा। मानकीकरण (Normalization) की प्रक्रिया में Mean तथा Standard Deviation का प्रयोग किया जायेगा, जिससे दोनो पालियों में प्रश्नपत्रों की कठिनाई का स्तर संतुलित होगा। इस प्रकार मानकीकृत स्कोर के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा।

सभी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ, इस प्रक्रिया को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाय तथा प्रेस/मीडिया के माध्यम से भी प्रसार किया जाय।

आज्ञा से,
15/2/2020
(संतोष बडोनी)
सचिव।

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्यो): 0135-2669658, फ़ैक्स: 0135-2672902, वेबसाइट: www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com